बिजली चोरी में 3 बिजनेसमैन पर 1.25 करोड़ का जुर्माना, जेल

- पूर्वी दिल्ली के एक बिजनेसमैन पर 1.15 करोड़ का जुर्माना, दो साल की जेल
- दक्षिण दिल्ली के दो बिजनेसमैन पर 9.55 लाख का जुर्मानाए एक साल की सश्रम जेल

नई दिल्लीः 9 जनवरी। बिजली चोरी के दो अलग– अलग में मामलों में स्पेशल कोर्ट ने तीन व्यवसाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्वी दिल्ली के बिजनेसमैन को अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई है और उन पर 1.15 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है। जबकि, दक्षिण दिल्ली के दो बिजनेसमैन को 1 साल की सजा सुनाई गई है और उन पर 10 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने में फाइन और सिविल लायबलिटी, दोनों शामिल हैं। खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन अदालत ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया और कड़ी सजा सुनाई।

पूर्वी दिल्ली का मामला

बीएसईएस ने पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में श्री राजपाल सिंह को 2013 में एक जांच के दौरान, 45 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़ा था। वह मकान के तीन मंजिलों पर लेथ मशीन और सिलाई मशीनों का काम कर रहे थे। बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी के जुर्म में, बीएसईएस ने कानून के मुताबिक उन पर 48 लाख रूपये का जुर्माना किया था, लेकिन उन्होंने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। इसके बाद, बीएसईएस ने कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी।

बाद में मामले को कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया, जहां अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरोपी बिजली की चोरी में सीधे तौर पर शामिल था। ऐसे में, आरोपी राजपाल सिंह को बिजली चोरी के लिए – जो कि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 135 के तहत दंडणीय अपराध है– दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट ने आरोपी पर 1.15 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें फाइन और सिविल लायबिलिटी, दोनों शामिल हैं।

आरोपी को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा– इस मामले में न्याय के तकाजे के तहत, दोषी व्यक्ति को दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने कहा– जहां तक जुर्माने का सवाल है, तो इस मामले में बिजली का कनेक्टेड लोड 10 किलोवॉट से अधिक था, और ऐसे में, इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के तहत, पहली बार दोषी साबित हुए व्यक्ति के लिए, बिजली चोरी से हुए वित्तीय लाभ का कम से कम तीन गुणा जुर्माना जरूरी है।

अपराध की प्रकृति की बात करते हुए कोर्ट ने कहा – वर्तमान केस में लागू कानून तथा तथ्यों व परिस्थितियों की रोशनी में, मेरा यह विचार है कि यह एक आर्थिक अपराध है, जहां दोषी व्यक्ति के कार्यों से पूरा का पूरा समाज उत्पीड़ित है और ईमानदारी से बिजली के शुल्कों का भगतान करने वाले भी पीड़ित हैं।

दक्षिण दिल्ली का मामला

दक्षिण दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन में गारमेंट वर्कशॉप चलाने वाले बिजनसमैन श्री करतार सिंह और श्री भानु को बीएसईएस ने 2016 में एक जांच के दौरान, 16 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़ा था। कानून के मुताबिक, दोनों व्यवसाइयों पर 10.64 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था। लेकिन उन्होंने जुर्माने का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद बीएसईएस ने नेब सराय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

बाद में मामले को साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया, जहां अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा– अपने बचाव में दोनों आरोपियों की ओर से किसी भी चश्मदीद को पेश नहीं किया गया,

ऐसे में आरोपी अपने बचाव की तार्किक संभावना दर्शाने में नाकाम रहे कि बिजली बिल का भुगतान किया जा रहा था या वे किसी कथित बिजली चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं थे।

कोई भी नरमी बरतने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे दोषी व्यक्ति दूसरों की कीमत पर नाजायज तरीके से लाभ कमाते हैं। इस तरह, न्याय के तकाजे के तहत, दोनों आरोपियों को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर कुल 9.55 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। है इसमें फाइन और सिविल लायबिलिटी, दोनों शामिल हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

.....